

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/27/2016-17

02 जून, 2017

श्री पी.के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

श्री सुरेश दयाल वर्मा व अन्य बंदीगण 544/1294 गोविन्दपुरम (एकता नगर) कैम्पबेल रोड बालागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का 29.05.2017 का पत्र 01.06.2017 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रुपये का पो.आ. संख्या 37एफ 828870 संलग्न कर अपने 26.04.2017 के आवेदन जोकि इस सचिवालय में 01.05.2017 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे 15.05.2017 को श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया गया था (प्रति संलग्न), पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सुरेश दयाल वर्मा व अन्य बंदीगण 544/1294 गोविन्दपुरम (एकता नगर) कैम्पबेल रोड बालागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Narain Singh
2/6/17

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL: 23016344/23016422 FAX: 23018424

फाइल संख्या वीपीएस 15/05/2017 (P)

15 मई, 2017

श्रीयुत मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

श्री सुरेश दयाल वर्मा व अन्य बंदीगण 544/1294 गोविन्दपुरम (एकता नगर) कैम्पबेल रोड बालागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का 26.04.2017 का पत्र इस सचिवालय में 01.05.2017 को प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को पुलिस की मानसिकता से अवगत कराये जाने व बेकसूर बंदियों को तत्काल न्याय दिलवाये जाने के संबंध में निवेदन किया है, अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र मूल रूप में उचित कार्रवाई/ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -

श्री सुरेश दयाल वर्मा व अन्य बंदीगण 544/1294 गोविन्दपुरम (एकता नगर) कैम्पबेल रोड बालागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय से सम्पर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

आर.टी.आई. 2005 की धारा 6 (1) के अधीन -

सेवा में, मां. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय जी,

कार्यालय मां. उप राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली (भारत)

महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक - 24/02/06 को हम बन्दिगो द्वारा जिला कारागार लखनऊ उ० प्र० पुलिस द्वारा अत्याचार कस्मा व फर्जी मुकदमों में जेल में भेजने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र पर मां. उप राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा उ० प्र० सरकार को निष्पक्ष जांच कराकर जेल से रिहा कराने का आदेश दिया गया था। जिसकी जांच दि०- 24/07/06 को श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जेल व महानिरीक्षक मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ उ० प्र० ल० को मां. मुख्य मंत्री कार्यालय उ० प्र० लखनऊ द्वारा जांच के आदेश दिष्ट गए थे फर्जी मुकदमों की निष्पक्ष जांच श्रीमान् उप महानिरीक्षक महोदय जी मुख्यालय कारागार प्रशासन के श्री आर० पी० सिंह महोदय जी की निगरानी दि०- 12/01/06 से पूर्व में करायी जा रही थी जांच पूर्ण हो जाने की सूचना हम बन्दिगो को जिला कारागार लखनऊ उ० प्र० श्री आर० पी० सिंह द्वारा मौखिक रूप से कहकर उपलब्ध कराकर का आसवासन दिया गया था काफी दिनों तक जांच आँखों न प्राप्त होने पर श्रीमान् उप महानिरीक्षक मु० कारागार व श्रीमान् एस०एस० पी० लखनऊ उ० प्र० R.T.I की धारा 6(1) के आवेदन पर जांच आँखों/ अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया था परन्तु हम बन्दिगो को जांच आँखों नहीं दी जा रही है इस सम्बन्ध में प्रार्थना द्वारा दिनांक 24/4/07 को मां. उप राष्ट्रपति महोदय जी को एक पुनः सुनवाई हेतु डाक रजिस्टर्ड द्वारा अपील प्रेषित की गयी है।

अतः मां. ज० सू० अ० महोदय जी से अनुरोध है कि मां. उप राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा प्रार्थना के अपील पर आज तक क्या दिशा निर्देश दिया गया है कृपया अवगत कराने की कृपा की जाए।

संलग्नः-

अन्यवाद

1- दस रुपये का भा० पो० आर्डर न०

2- दि०- 24/4/07 को प्रेषित की गयी पुनः सुनवाई अपील व डाक रसीद की दृष्टाप्रति।

दिनांक :- 29-5-17

अपीलकर्ता